

गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम, 2023 को निरसित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) अधिनियम, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2023 के अधिनियम सं. 22 का निरसन.- गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 22) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

न्यास की स्थापना और न्यास के नियंत्रण के अधीन संग्रहालय चलाने और उसका संधारण, आगन्तुकों को अधिकतम सुविधा देने, गांधीवादी कार्यों और समाज की बेहतरी हेतु स्वयंसेवा की अभिवृद्धि करने के लिए, संग्रहालय का और उसमें की समस्त जंगम और स्थावर संपत्तियों का आवश्यकता के अनुसार प्रत्यावर्तन, संरक्षण और प्रबंध करने के लिए उसमें अंतर्वलित, उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 22) अधिनियमित किया गया था और जो राजस्थान राजपत्र में, दिनांक 22 अगस्त, 2023 को प्रकाशित हुआ था।

सम्बन्धित विभाग के निदेशक या अन्य पदधारियों द्वारा राज्य में अन्य संग्रहालयों के संचालन को दृष्टिगत रखते हुए, गांधी दर्शन संग्रहालय के संचालन के लिए गांधी वाटिका न्यास अनिवार्यतः और आवश्यक रूप से अपेक्षित नहीं है।

गांधी वाटिका न्यास की स्थापना का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 22) अनिवार्यतः आवश्यक नहीं है। इसको दृष्टिगत रखते हुए, गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 22) को निरसित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

Bill No. 6 of 2024

(Authorised English Translation)

THE GANDHI VATIKA TRUST, JAIPUR (REPEAL)

BILL, 2024

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to repeal the Gandhi Vatika Trust, Jaipur Act, 2023.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Gandhi Vatika Trust, Jaipur (Repeal) Act, 2024.

(2) It shall come into force at once.

2. Repeal of Rajasthan Act No. 22 of 2023.- The Gandhi Vatika Trust, Jaipur Act, 2023 (Act No. 22 of 2023) is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To Provide for establishment of a Trust and for running museum under Trust's control and to maintain it, to provide maximum convenience to visitors, to promote volunteerism for Gandhian work and betterment of the society, to restore, protect and manage museum and all movable and immovable properties therein according to requirement and for matters connected therewith or incidental thereto involved in the Gandhi Vatika Trust, Jaipur Act, 2023 (Act No. 22 of 2023) was enacted and published in the Rajasthan Gazette, dated August 22, 2023.

In view of operations of other museums in the State by Director or other officials of concerning department, the Gandhi Vatika Trust, is not compulsorily and necessarily required for operations of Gandhi Darshan Museum.

The Gandhi Vatika Trust, Jaipur Act, 2023 (Act No. 22 of 2023) enacted to provide for the establishment of Gandhi Vatika Trust is not compulsorily required. In view of this, it is proposed that the Gandhi Vatika Trust, Jaipur Act, 2023 (Act No. 22 of 2023) be repealed.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

Bill No. 6 of 2024

**THE GANDHI VATIKA TRUST, JAIPUR (REPEAL)
BILL, 2024**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to repeal the Gandhi Vatika Trust, Jaipur Act, 2023.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

**MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.**

(Bhajan Lal Sharma, Minister-Incharge)

गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम, 2023 को निरसित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री)